लोक–सुनवाई का वृत

मेसर्स डीके ब्रदर्स ट्रेड कं0, प्रस्तावक, श्री पवन कुमार सिंह, पिता–श्री रामचंद्र सिंह, ग्राम–पहाड़पुर, पो0–दरियापुर, जिला–लखीसराय के द्वारा बरनार नदी ब्लॉक–06 बालू घाट, मौजा–टोला जुगरी, प्रखंड–सोनो, जिला–जमुई में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक–सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में **दिनांक 24.06.2023 को पूर्वाहन् 11:00 बजे प्रखंड सभागार (प्रखंड ई0 किसान भवन) सोनो, जिला–जमुई** के प्रांगण में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/2266/2023, दिनांक 02.02.2023 के आलोक में रामदुलार राम, अपर समाहर्ता–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा–"द टाइम्स ऑफ इंडिया, पटना" एवं "हिन्दुस्तान", भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक **20.05.2023** को प्रकाशित की गयी है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक सुनवाई के दौरान एस0 एन0 झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्त्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राजेश कुमार विश्वास ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा बरनार नदी ब्लॉक–06 बालू धाट, मौजा–टोला जुगरी, प्रखंड–सोनो, जिला–जमुई में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री पवन कुमार सिंह को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक– 06 में 29.70 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 372438 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹192.565 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक संख्या– 06 को सम्मिलित किया गया है।

2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि" तथा अनुमोदित "खनन य... अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने... दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाएं गए है।

3. खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनन कार्य अर्द्ध–मशीनीकरण व्यवस्था के साथ किया जायेगा जिसमें यांत्रिक उपकरणों के साथ मानव संसाधन का भी उपयोग किया जायेगा। बरसात एवं बाढ़ की अवधि में खनन नहीं किया जायेगा। जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। केवल सूखे स्थल पर ही खनन की कारवाई की जायेगी।

4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नही हो। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।

5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में ओवर–लोडिंग नहीं किया जायेगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।

6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे– मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।

7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।

8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेष वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।

9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।

10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा। खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।

11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय–समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं–

क्रमांक	प्रतिक्रया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री शंभु सिंह, ग्राम–डुमरी, जिला–जमुई के द्वारा प्रस्तावित परियोजना से रोजगार एवं वृक्षारोपरण के बारे में जानकारी मांगी गई।	प्रस्तावित परियोजना में 27 स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार में प्राथमिकता दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त कई अन्य अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। परियोजना के तहत 297 की संख्या में वृक्षारोपण किया जायेगा। ग्राम पंचायत से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपयुक्त स्थल पर और अधिक वृक्ष लगाये जायेंगे।
2.	श्री अजीत कुमार सिंह, ग्राम–मड़रो, जिला–जमुई के द्वारा पुछा गया कि सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत प्रस्तावित राशि किस रूप में खर्च की जायेगी।	प्रस्तावित परियोजना में परियोजना लागत का 2% राशि गांव के विकास कार्य के लिए यथा नलकूप, स्कूल किट, सोलर लैंप इत्यादि में खर्च किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ग्रामसभा से बैठक कर अन्य प्रस्ताव मिलने पर उस मद में खर्च किया जायेगा।
3.	श्री आनंद कुमार सिंह, ग्राम–डुमरी, जिला–जमुई के द्वारा पुछा गया कि– 1. स्कूल के बच्चों को धूलकण से परेशानी होती है, इस संबंध में क्या उपाय किया जायेगा। 2. सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत क्या मंदिर निर्माण में राशि खर्च की जा सकती है। 3. गांव में बोरिंग कराया जाय।	वाहनों के आवागमन में उपयोग किये जाने वाले सड़कों पर नियमित रूप से जल–छिड़काव किया जायेगा। विद्यालय खुलने और बंद होने के समय पर वाहनों का आवागमन नहीं कराया जायेगा। सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत गांव के विकास के लिए राशि खर्च की जायेगी। ग्रामसभा की बैठक कर ग्राम प्रधान से प्रस्ताव प्राप्त होने पर सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कराया जा सकता है।
4.	श्री लड्डू सिंह, सरपंच, लखनप्यारी पंचायत, ग्राम–डुमरी, जिला–जमुई के द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने तथा गांव के विकास कार्य के लिए अनुरोध किया गया।	प्रस्तावित परियोजना में 27 स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने का प्रस्ताव है। सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत परियोजना लागत का 2% राशि ग्रामीणों से विमर्श करके गांव के विकास के लिए खर्च किया जायेगा।

४

5.	श्री रोहित कुमार यादव, मुखिया, लालीलेवार, जमुई के द्वारा पुछा गया कि–	
	1. मानक से अधिक खनन किया जाता है।	पूर्व में 3 मीटर की गहराई तक बालू खनन अनुमति थी। जबकि प्रस्तावित परियोजना अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक ही खनन करने की अनुमति है।
	2. बालू के उठाव से बच्चों एवं ग्रामीणों को परेशानी होती है। बालू उठाव के वाहनों के लिए समय निर्धारित किया जाय।	वाहनों के आवागमन में उपयोग किये जाने वाले सड़कों पर नियमित रूप से जल–छिड़काव किया जायेगा। विद्यालय खुलने और बंद होने के समय पर वाहनों का आवागमन नहीं कराया जायेगा।
	3. खनन से भू–जल स्तर नीचे चला गया है।	भू–जल स्तर का नीचे गिरना स्थानीय समस्या नहीं है। यह कई कारकों पर निर्भर करता है। प्रस्तावित परियोजना में सिर्फ सुखे क्षेत्र में खनन किया जायेगा। जलप्रवाह के क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।
	4. आवागमन में उपयोग होने वाले सड़क क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। उपर्युक्त के निराकरण के लिए क्या उपाय किया जायेगा।	प्रस्तावित परियोजना में आवागमन के लिए उपयोग होने वाले सड़कों पर नियमित जल–छिड़काव किया जायेगा। सड़क के किनारे वृक्षारोपण तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना के तहत क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराई जायेगी।

लोक–सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता सह सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू एक नैसर्गिक स्रोत है जिसका संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्यधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसका समुचित दोहन से स्थानीय एवं राज्य स्तर पर आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण हेतु उपाय सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय के द्वारा सूचित किया गया कि बैठक में उपस्थित जनता से प्राप्त सुझाव/शिकायत से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जायेगा, जिससे प्रस्तावित परियोजना विधिसम्मत तरीके से चल सके तथा ग्रामीणों को इस परियोजना का समुचित लाभ प्राप्त हो।

लोक–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक–सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

24-6-2023
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि०रा०प्र०नि०पर्षद,
भागलपुर।

24/6/23
अपर समाहर्ता
जमुई।

उपस्थिति सूची

मेसर्स डीके ब्रदर्स ट्रेड कं., प्रो०-श्री पवन कुमार सिंह, पिता-श्री रामचंद्र सिंह, ग्राम-पहाड़पुर, पो०-दरियापुर, जिला-लखीसराय द्वारा बरनार नदी जमुई बरनार नदी ब्लॉक 06 बालू घाट, मौजा-टोला जुगरी, ब्लॉक-सोनो, जिला-जमुई का बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 24.06.2023 को पूर्वाहन् 11:00 बजे लोक सुनवाई का स्थलः प्रखंड सभागार सोनो, जिला-जमुई में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Ram Dular Ram	Adm (P&R) cum DPGRO Jamui	[signature] 24/6/23
2.	Shambhu Nath Jha	Regional Officer Bhagalpur. Bihar State Poll. Control Board	Shambhu 24-6-2023
3.	[illegible]	प्र० विका० पदा० जमुई	[signature] 24/06/2023
4.	Spriha	Mines inspector	[signature] 24/06/2023
5.	Rajesh kumar	C.O. Sono	[signature] 24/06/23
6.	Upendra Kumar Verma	B.P.R.O Sono	Upendra 24/06/23
7.	Anish Kumar	Asst. Scientific Officer BSPCB, Bhagalpur	Anish 24/06/2023
8.	Pawan Kr Singh DK Brothers Trade Co	Pahadpur Barahiya Lakhisarai	Pawan Kr Singh
9.	[illegible]	BSPCB Patna	[signature]
10.	[illegible] कुमार	[illegible]	[signature]

11.	महेन्द्र प्रसाद	सांचवानी	महेन्द्र प्रसाद
12.	सरजू यादव	सोनी	सरजू यादव
13.	रोहित यादव मुखिया पंच मालीकेवाल		[illegible]
14.	राकेश कुमार	सोनी	RAKESH KUMAR
15.	कुन्दन कुमार	सोनी	Kundan
16.	हरराम सिंह	सोनी	H [illegible]
17.	गोपाल कुमार	सोनी	[illegible]
18.	महेन्द्र यादव	सोनी	महेन्द्र यादव
19.	गोलू सिंह	डगही	[illegible]
20.	शंभु सिंह	जुगाही	शंभु सिंह
21.	अजीत कुमार सिंह	HSE	Ajit kumar sh
22.	प्रवीन कुमार सिंह	देवी पहाड़ी	प्रवीन कुमार सिंह
23.	ललन कुमार सिंह सरपंच	जुगाड़ी	ललन [illegible]
24.	ANANT KUMAR	Jugri	Anant kumar.
25.	सचिन कुमार	जुगाई	Sachin Kumar

26.	शशिरंजन सिंह	झुग्गी	Shu...
27.	शिवम कुमार	झुग्गी	Shivam kumar
28.	आदेश कुमार	झुग्गी	आदेश कुमार
29.	Aditya kumar	Jugdi	Atiya kr
30.	प्रेमनाथ राम	झुग्गी	Prem nath R
31.	प्रमोद कु०	झुग्गी	[illegible]
32.	गौतम कुमार	झुग्गी	Gautam
33.	शिवनन्दन कुमार	झुग्गी	Shivnandan kumar
34.	रामविलास कुमार	झुग्गी	रामविलास कुमार
35.	मुकेश कुमार	[illegible]	मुकेश कुमार
36.	रंजन सिंह	जग्गी	[illegible]
37.	पंकज कुमार	झुग्गी	पंकज कुमार
38.	आलोक कु०	झुग्गी	[illegible]
39.	हरिश कुमार	झुग्गी	[illegible]
40.	रामकेवल सिंह	झुग्गी	रामकेवल सिंह

41.	Himanshu Kumar	जुगाड़ी	Himanshu
42.	Sudhakar Singh	जुगाड़ी	Sudhakar Singh
43.	Ankit Kumar	जुगाड़ी	Ankit Kumar
44.	प्रमोद कु.	जुगाड़ी	[illegible]
45.	गोपाल	जुगाड़ी	गोपाल
46.	विकास	जुगाड़ी	विकास
47.	Om Kumar	जमुई	Om Kumar
48.	Rajesh Kumar Vishwas	Environmental Consultant P&M Solution (Noida)	Rajesh
49.	Vivekanand	Jugra	Vivekanand
50.	Sumit Ranjan	Jugra	[illegible]
51.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
52.			
53.			
54.			
55.			